न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, जिला कोटा, राजस्थानः—0744—2325871

GCMS ID- 2024/341

मिसल नम्बर—32 / 2024

1.ललिता पत्नी श्री रामचंद्र जाति लश्करी निवासी ग्राम भीमपुरा, रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

प्रार्थीया।

बनाम

1.राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान।

अप्रार्थी।

प्रार्थना—पत्र

(राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत्)

—:निर्णयः—

दिंनाकः 31/12/24

उपस्थितिः—

1.सरकार पैरोकार।

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना—पत्र प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना—पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया व अन्य सहखातेदार की आराजी जिला कोटा खसरा नं0 209 की 0.21 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थिया का हिस्सा 1/9 है, जिसकी जमाबंदी साथ संलग्न है तथा दूसरी जमाबंदी ग्राम भीमपुरा में आराजी खाता नं0 315 पर खसरा नं0 827 की 0.22 है0 व खसरा नं0 828 की रकबा 0.72 है0 स्थित है जिसमें प्रार्थिया का हिस्सा 1/9 दर्ज है, खाता नं0 314 पर खसरा नं0 215 (दक्षिणी) की रकबा 2.3750 है0 खसरा नं0 740 की रकबा 0.08 है0 व खसरा नं0 816 की रकबा 1.0 है0 स्थित है जिसमें प्रार्थिया का हिस्सा 1/9 दर्ज है, व आराजी खाता नं0 312 पर खसरा नं0 207 की रकबा 0.66 है0 स्थित है जिसमें प्रार्थिया का हिस्सा 1/9 दर्ज है जिसकी नकल जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। उपरोक्त आराजी पुश्तेनी है और प्रार्थिया के भीमपुरा खाते में दर्ज है और प्रार्थिया अपने हिस्से पर काबिज काश्त कर रही है और आज भी काबिज काश्त है। लेकिन राजस्व रिकार्ड जमाबंदी खाता संख्या 312, 314, 315 में प्रार्थिया का नाम ललिता के स्थान पर हेमलता गलत अंकित हो गया है जो हेमलता के स्थान पर ललिता होना है परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा ललिता के स्थान पर हेमलता बना दिया गया है जबकि समस्त सरकारी अर्थ सरकारी दस्तावेजो में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

ललिता नाम दर्ज है। जबकि खाता संख्या 69 में प्रार्थिया का नाम ललिता ही दर्ज है परन्तु राजस्व विभाग की जमाबंदियों में गलत रूप से हेमलता अंकित हो जाने के कारण प्रार्थिया को काफी आर्थिक मानसिक समस्यों का सामना पड रहा है। जिस कारण से राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा की गई त्रुटि ललिता के स्थान पर हेमलता अंकित कर दिया गया उक्त त्रुटि को माननीय न्यायालय से हेमलता के स्थान पर ललिता करवाना चाहती है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्त समस्त जमाबंदियो में प्रार्थियाका ललिता नाम हेमलता के स्थान पर ललिता नाम अंकित करने का तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूरती किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे कि अन्य जो न्यायोचित सहायता हो वह भी प्रदान की जावें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी वास्ते नोटिस प्रेषित किये गये।

प्रार्थीया के प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार लाडपुरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वर्णित किया कि नामान्तरण सं0 652 दिनांक 08.12.2010 एवं नामान्तरण सं0 785 दिनांक 05.07.2013 का अवलोकन किया गया उपरोक्त दोनो नामान्तरण विरासत के दर्ज किया गए है जिससे वादी का नाम हेमलता पत्नि स्व0 रामचन्द्र दर्ज किया गया था। इसी प्रकार नामा0 संख्या 1017 दिनांक 05.06.2018 विरासत से वादी का ललिता बेवा रामचन्द्र सामष्णती में दर्ज किया गया। इस प्रकार नामान्तरण संख्या 652/08.12.2010 एवं 785/05.07.2013 में दर्ज खसरा नं0 207, 827, 828, 215, 740, 816 पर वादिया का नाम सहवन से हेमलता पत्नि स्व0 रामचन्द्र दर्ज किया गया तथा नविन दर्ज नामान्तरण सं0 1017/05.06.2018 से वादीया का सही नाम खसरा नं0 207 रकबा 0.21 पर ललिता बेवा रामचन्द्र दर्ज किया गया है। अतः उरोक्त नामान्तरण का अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी का वास्तिविक नाम ललिता बेवा रामचन्द्र है। दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड में नाम ललिता बेवा रामचन्द्र जाति लश्करी दर्ज रिकार्ड है।

बाद तहसील रिपोर्ट दौराने बहस प्रार्थीपक्ष द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के कथनों को दोहराया।

उरोक्तानुसार बाद अवलोकन तहसील रिपोर्ट प्रार्थना–पत्र को प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। चूंकि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में कथन किया कि नामान्तरण संख्या 652/08.12.2010 एवं 785/05.07.2013 में दर्ज खसरा नं0 207, 827, 828, 215, 740, 816 पर वादिया का नाम सहवन से हेमलता पत्नि स्व0 रामचन्द्र दर्ज किया गया तथा नविन दर्ज नामान्तरण सं0 1017/05.06.2018 से वादीया का सही नाम खसरा नं0 207 रकबा 0.21 पर ललिता बेवा रामचन्द्र दर्ज किया गया है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से भी इस बात की पुष्टि होती है कि ललिता एवं हेमलता एक ही महिला के नाम है। अतः भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जात है कि ग्राम भीमपुरा पटवार हल्का धाकड़खेड़ी भू0अ0निरीक्षक रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा के खाता संख्या नया 315 के खसरा नं0 827 रकबा 0.22 है0, खसरा नं0 828 रकबा 0.72 है0 कुल किता 2 रकबा 0.94

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

है0 में हिस्सा 1/9 एवं खाता सं0 314 के खसरा नं0 215 (दक्षिणी) रकबा 2.3750 है0, खसरा नं0 740 रकबा 0.08 है0 एवं खसरा नं0 816 रकबा 1.00 है0 कुल किता 3 रकबा 3.4550 है0 में हिस्सा 1/9 एवं खाता सं0 312 के खसरा नं0 207 रकबा 0.66 है0 कुल किता 1 रकबा 0.66 है0 में प्रार्थीया का नाम हेमलताबाई पत्नि स्व0 रामचन्द्र जाति लश्करी के स्थान पर ललिता उर्फ हेमलता पत्नि रामचन्द्र जाति लश्करी दर्ज किया जावें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 31/12/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा